राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना

विवरणिका



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

विषय सूची

- 1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- 2. योजना का रूपांतरण
- 3. चयन प्रक्रिया
 - 3.1 राज्य स्तरीय परीक्षा
 - 3.2 राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षा
 - 3.3 साक्षात्कार

4. छात्रवृत्ति संवितरण हेतु नियम और विनियम

- 4.1 पात्रता की शर्ते
- 4.2 +2 स्तर पर छात्रवृत्ति जारी रखने की पात्रता तथा अन्य शर्ते
- 4.3 प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों के स्तर पर छात्रवृत्ति जारी रखने की पात्रता तथा अन्य शर्ते
- 4.4 द्वितीय डिग्री पाठ्यक्रमों के स्तर पर छात्रवृत्ति जारी रखने की पात्रता तथा अन्य शर्ते
- 4.5 एम.फिल/पी.एच.डी. स्तर पर पात्रता और अन्य शर्ते
- 4.6 पीएच.डी. कार्य के लिए आकस्मिकता अनुदान
- 4.7 छात्रवृत्ति की दरें
- 4.8 भुगतान का तरीका
- 4.9 छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं पर लागू छुट्टी के नियम
- 5.5 परिपोषण कार्यक्रम

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत सरकार द्वारा देश की विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के विचार से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) की स्थापना सन् 1961 में की गई थी। परिषद् की स्थापना होते ही इस दिशा में अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए। ऐसा एक कार्यक्रम था प्रतिभाशाली छात्रों को पहचानना तथा उनका परिपोषण करना। सन् 1963 में इस कार्यक्रम ने राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना (एन.एस.टी.एस.एस.) का रूप ले लिया, जो प्रतिभाशाली छात्रों को पहचानने और उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए था। योजना कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष में यह केवल दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तक सीमित था जिसमें ग्यारहवीं कक्षा के छात्रों को केवल 10 छात्रवृत्तियाँ दी गई थीं।

सन् 1964 में यह योजना ग्यारहवीं कक्षा के छात्रों हेतु 350 छात्रवृत्तियों सिहत देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों तक विस्तारित की गई। ये छात्रवृत्तियाँ एक लिखित परीक्षा, एक परियोजना प्रतिवेदन और साक्षात्कार के आधार पर प्रदान की गई थीं। लिखित परीक्षा में विज्ञान अभिक्षमता परीक्षा तथा दी गई वैज्ञानिक विषयवस्तु पर एक निबंध शामिल थे। लिखित परीक्षा के समय छात्रों को परियोजना प्रतिवेदन जमा करना होता था। इन तीन संघटकों के आधार पर अभ्यर्थियों की एक अनुबंधित संख्या का व्यक्तिगत साक्षात्कार लिया जाता था। अभ्यर्थियों के इन चारों संघटकों में प्रदर्शन पर इन्हें छात्रवृत्ति देने हेतु अंतिम रूप से विचार किया जाता था। ये छात्रवृत्तियाँ केवल मूलभूत विज्ञान में शोध उपाधि स्तर तक शिक्षा जारी रखने के लिए दी जाती थीं।

शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली लागू किए जाने पर सन् 1976 में एन.एस.टी.एस. योजना में भी परिवर्तन किए गए। यह केवल मूलभूत विज्ञान तक सीमित नहीं रही अपितु सामाजिक विज्ञान, अभियांत्रिकी और चिकित्सा विज्ञान तक विस्तारित की गई। इसे एक नया नाम राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना (एन.टी.एस.एस.) दिया गया। चूँिक देश में शिक्षा व्यवस्था परिवर्तित हो रही थी, योजना को कक्षा दस, ग्यारह और बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए खोल दिया गया और प्रत्येक कक्षा के लिए अलग-अलग परीक्षा आयोजित की गई। छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाकर 500 की गई। चयन प्रक्रिया भी बदल दी गई। अब अभ्यर्थियों को केवल दो लिखित वस्तुनिष्ठ मानसिक योग्यता परीक्षा (एम.ए.टी.) तथा शैक्षिक योग्यता परीक्षा (एस.ए.टी.) में सम्मिलत होना था। इन दो परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की एक निश्चित संख्या का साक्षात्कार लिया गया। एम.ए.टी., एस.ए.टी. और साक्षात्कार में प्राप्त किए गए कुल अंकों के आधार पर अंतिम रूप से छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रावधान किया गया।

सन् 1981 में छात्रवृत्तियों की संख्या 500 से बढ़ाकर 550 कर दी गई। ये अतिरिक्त 50 छात्रवृत्तियों विशेष तौर पर अनुसूचित जाति (एस.सी), अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) के छात्रों के लिए थीं। सन् 1983 में पुन: छात्रवृत्तियों की संख्या विशेषतौर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु 70 छात्रवृत्तियों के प्रावधान सिहत बढ़ाकर 750 कर दी गई। यह व्यवस्था सन् 1985 तक जारी रही जब तक कि योजना का विकेंन्द्रीकरण नहीं किया गया।

सन् 2000 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय मानकों के अनुसार क्रमश: 15 प्रतिशत और $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान सिंहत छात्रवृत्तियों की संख्या 750 से 1000 तक बढ़ा दी गई।

वर्ष 2006 में योजना में एक और परिवर्तन किया गया है जिसके अंतर्गत अब राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन कक्षा 8 के अंत में किया जाएगा। तथापि, एन.सी.ई.आर.टी. अभी कक्षा 10 और 11 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करने के लिए, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए दो और परीक्षाएँ चयन वर्ष 2007 और 2008 में आयोजित करेगी।

वर्ष 2008 की परीक्षा से 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान विकलांगों के लिये भी किया गया है।

2. योजना का रूपान्तरण

योजना के दो दशकों का यह अनुभव इसे अगली पंक्ति में ले आया। बड़ी संख्या में छात्रवृत्तियाँ देश के कुछ विशेष स्थानों तक सीमित थीं और अनेक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता था। इस तथ्य के प्रकाश में आने से सन् 1985 में योजना को नया रूप दिया गया। योजना जो अब तक पूरी तरह से केंन्द्रित थी अब उसे आंशिक रूप से विकेन्द्रीकृत किया गया तथा केवल कक्षा 10 तक ही सीमित रखा गया। नयी व्यवस्था के अंतर्गत पुरस्कृत किए जाने का चयन अब एक द्विस्तरीय प्रक्रिया बन गई। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रथम स्तर की चयन परीक्षा आयोजित करने का उत्तरदायित्व दिया गया था जिसे राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा (एस.एल.टी.एस.ई.) कहते हैं। प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को एन.सी.ई.आर. टी. द्वारा लगभग 3000 छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा हेतु छात्रों की एक निश्चित संख्या (राज्य का कोटा) का चयन करना और उसकी संस्तुति करनी थी। यद्यपि छात्रवृत्तियों की संख्या अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 70 छात्रों सहित 750 की थी।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कोटे माध्यमिक स्तर पर छात्र नामांकन के आधार पर आनुपातिक रूप से गणना कर निकाले जाने थे, जो एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए 10 तथा राज्य के लिए 25 न्यूनतम तथा दोनों के लिए निर्धारित संख्या अधिकतम 500 है। प्रत्येक तीन सालों में इस कोटे (निर्धारित संख्या) की समीक्षा की जाती है।

राज्यों को अपनी लिखित परीक्षाएँ संकल्पित और संचालित करने की पूरी स्वायत्तता थी। यद्यपि, उन्हें राष्ट्रीय प्रणाली को अपनाने की सलाह दी गई थी जिसमें एम.ए.टी. और एस.ए.टी. शामिल थे। एम.ए.टी. में 100 बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न थे, जिन्हें सभी प्रत्याशियों द्वारा हल किया जाना था। एस.ए.टी. में गणित, भौतिकी, रसायनिवज्ञान, जीविवज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र और अर्थशास्त्र के आठ विषयों पर प्रत्येक के 25 बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न थे। प्रत्याशी इन आठ विषयों में से कोई चार विषय चुनकर एस.ए.टी. में कुल 100 प्रश्नों के उत्तर दे सकते थे।

राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में चुने गए प्रत्याशियों की एक निश्चित संख्या को आमने-सामने साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता था। छात्रवृत्ति का अंतिम रूप से निर्धारण प्रत्याशी के तीन संघटकों, एम.ए.टी., एस.ए.टी. और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता था।

योजना में एक महत्वपूर्ण रूपांतर दोबारा 1995 में किया गया, जब एस.ए.टी. में विकल्प का प्रावधान समाप्त कर सभी विषय अनिवार्य किए गए थे। ये विषय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित क्रमश: 40, 40 और 20 प्रश्नों के साथ थे।

वर्ष 2000 में छात्रवृत्तियों की संख्या 750 से बढ़ाकर 1000 कर दी गई थी। वर्ष 2006 में योजना में मुख्य परिवर्तन किए गए। योजना में किए गए संशोधन निम्नवत हैं:

- योजना का कार्यान्वयन कक्षा 10 के बजाय कक्षा 8 में किया गया।
- राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का आयोजन वर्ष 2007 से कक्षा 8 के अंत
 में किया जाएगा।
- कक्षा 7 की मानसिक योग्यता परीक्षण (एम.ए.टी.) और शैक्षिक योग्यता परीक्षण (एस.ए.टी.) प्रत्येक में 90 प्रश्न होंगे।
- एस.ए.टी. के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के 35, विज्ञान के 35 और गणित के 20 प्रश्न होंगे।
- ❖ राज्य के लिए कोटा का परिकलन यथा अनुपात कक्षा 7 और 8 में नामांकित विद्यार्थियों के आधार पर किया जाएगा।
- छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाकर रु. 500 प्रतिमाह कर दी गई है। इसे कक्षा 9 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को आगे तक (कक्षा/पाठ्यक्रम पर ध्यान दिए बिना) दिया जाएगा। तथापि पी.एच.डी. के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
- ॐ छात्रवृत्ति के भुगतान का निर्णय करने के लिए अभिभावक की आय के आकलन संबंधी मानदंड को समाप्त कर दिया गया है।
- 💠 पुस्तक अनुदान को भी समाप्त कर दिया गया है।
- ❖ वर्ष 2008 की परीक्षा से 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान विकलांगों के लिए भी किया गया है।

वर्तमान योजना के अंतर्गत अभ्यर्थियों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों में पी.एच.डी. और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और चिकित्सा विधि और अभियांत्रिकी एवं प्रबंधन जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में द्वितीय डिग्री स्तर तक की शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है यदि वे इस विवरणिका अभ्यर्थियों में दी गई शर्तें पूरी करते हों।

योजना के विस्तृत विवरण आगे के पृष्ठों में दिए गए हैं।

3. चयन प्रक्रिया

प्रतिभाओं की पहचान में दो स्तरीय वाली चयन प्रक्रिया शामिल है। जबिक प्रथम स्तर का चयन अलग-अलग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाता है, द्वितीय स्तर का चयन राष्ट्रीय स्तर पर एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा किया जाता है।

3.1 राज्य स्तरीय परीक्षा

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी परीक्षा स्वयं संचालित करता है। उन्हें प्रत्याशियों की योग्यता निर्धारित करने के लिए अपने स्वयं के मानकों को बनाने की स्वायत्तता है। यह परीक्षा प्राथमिक रूप से एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा आयोजित की जाने वाली द्वितीय स्तर की परीक्षा के लिए प्रत्याशियों की निर्धारित संख्या को अनुमोदित करती है। यह संख्या विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कक्षा 7 और 8 पर नामांकित छात्रों की संख्या पर आधारित है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में योग्यता के आधार पर अभ्यर्थियों की संस्तुति की जाती है। वर्ष विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु अभ्यर्थियों की संख्या के विवरण अलग से सूचित किए जायेंगे।

साधारणतया राज्य स्तरीय खोज परीक्षा सभी राज्य एवं संघ राज्यों द्वारा नवंबर माह के द्वितीय रिववार को आयोजित की जाती है। बाकी चार संघ राज्यों नागालैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, मेघालय तथा मिजोरम में यह परीक्षा प्रतिवर्ष नवंबर माह



के द्वितीय शनिवार को आयोजित की जाती है असाधारण कारणों से यह तिथि बदली जा सकती है।

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संपर्क अधिकारियों के पते परिशिष्ट में दिए गए हैं जिनसे राज्य/संघ स्तरीय परीक्षा के बारे में सूचना प्राप्त की जा सकती हैं।

3.1.1 पात्रता

किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय जिसमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय आदि सिंहत में कक्षा आठवीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी उस राज्य की राज्य स्तरीय परीक्षा में शामिल होने के योग्य होंगे, जहां वह विद्यालय स्थित है। यद्यपि किसी प्रकार का अधिवास (डोमिसाइल) प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, राज्य द्वारा इस खोज परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्रता की अन्य योग्यता शर्तें लगाई जा सकती हैं, जैसे कि पिछली वार्षिक परीक्षा में कोई न्यूनतम प्रतिशत अंक आदि।

3.1.2 आवेदन कैसे करें

आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को चाहिए कि वे अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थित विद्यालय में राज्य सरकारों के परिपत्र अथवा समाचार पत्रों के विज्ञापन में ऊपर



बताई गई परीक्षा के विषय में देखते रहें तथा राज्य विज्ञापन/परिपत्र में दी गई आवश्यकता के अनुसार कार्यवाही करें। राज्य स्तरीय परीक्षा की विस्तृत जानकारी के बारे में अन्य सूचना, प्रश्नों की जानकारी राज्य अभिकरण संपर्क अधिकारियों से ली जा सकती है, जिनके पते परिशिष्ट में दिए गए हैं। आवेदन पत्र परिषद् की वेबसाइट www.ncert.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

विद्यार्थियों द्वारा भरे हुए आवेदन संबंधित राज्यों/संघ राज्यों द्वारा विज्ञापित/परिचालित अंतिम तिथि से पहले अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर करवाकर संपर्क अधिकारी को भिजवाने होंगे।

3.1.3 परीक्षा का माध्यम

परीक्षा के माध्यम की घोषणा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा की जाएगी।

3.1.4 *शुल्क*

राज्य सरकार द्वारा परीक्षा तथा/अथवा आवेदन पत्र के लिए कोई भी शुल्क लगाया जा सकता है।

3.1.5 परीक्षा

एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा संचालित द्वितीय स्तर की परीक्षा हेतु अभ्यिथियों की अपेक्षित संख्या नामित करने के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा के दो भाग हो सकते हैं-भाग I मानसिक योग्यता परीक्षा (एम.ए.टी) तथा भाग II शैक्षिक योग्यता परीक्षा (एस.ए.टी.)।

3.1.6 परिणाम

राज्य/संघ राज्य सरकार द्वारा अभ्यर्थियों की दोनों परीक्षाओं में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंकों को सुनिश्चित करने वाली योग्यता क्रमसूची बनाई जाएगी। सामान्य श्रेणी के लिए ये अंक 40 प्रतिशत हैं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति प्रत्याशियों के लिए ये अंक 32 प्रतिशत हैं।

राज्य स्तरीय परीक्षा का परिणाम संबंधित राज्यों एवं संघ राज्यों द्वारा राज्य-स्तर पर जनवरी-फ़रवरी माह में घोषित किया जाता है। इस प्रतियोगिता का प्रयोग केवल एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा संचालित द्वितीय स्तर की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की संस्तुति करने के लिए किया जाता है। छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षा में राज्य स्तरीय परीक्षा के अंक नहीं जुड़ेंगे। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा संचालित प्रथम स्तर की परीक्षा के संबंध में परिषद् से किसी भी प्रकार का पत्राचार न किया जाए।

जैसा कि परिशिष्ट में दिया गया है, राज्य स्तरीय परीक्षा के संदर्भ में किसी प्रकार के प्रश्न/शिकायतों/स्पष्टीकरण के लिए अभ्यर्थियों को राज्य परीक्षा संपर्क अधिकारी, जिनके पते परिशिष्ट में दिए गए हैं, से संपर्क करना होगा।

3.2 राष्ट्रीय स्तर परीक्षा

राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में शामिल होने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं है।

3.2.1 पात्रता

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा भारतीय राष्ट्रीयता वाले सभी छात्रों के लिए खुली है जो भारत में अथवा विदेश में आठवीं कक्षा में पढ़ रहे हों।

3.2.1.1 भारत में अध्ययनरत अभ्यर्थी

केवल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उनकी खोज परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थी एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे, जो प्रत्येक वर्ष मई माह के दूसरे रिववार (जब तक कि अलग से सूचित न किया जाए) को संचालित की जाती है। ऐसे सभी प्रत्याशियों को पंजीकृत डाक द्वारा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा का रोल नंबर, स्थान, दिनांक और समय आदि की सुचना एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा सीधे ही दी जाएगी।

3.2.1.2 विदेश में अध्ययनरत अभ्यर्थी

भारतीय राष्ट्रीयता के वे छात्र जो विदेश में आठवीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत प्रतिभा खोज पुरस्कार की प्रतियोगिता में भी भाग ले सकते हैं:

- (1) विदेश में आठवीं कक्षा या इसके समकक्ष पढ़ रहे भारतीय विद्यार्थियों को प्रथम स्तर की चयन परीक्षा से छूट दी जाएगी और उन्हें परिषद् द्वारा संचालित द्वितीय स्तर परीक्षा में सीधे ही शामिल होने की अनुमित दी जाएगी।
- (2) राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता तभी होगी जब उसके द्वारा पिछली वार्षिक परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक (कुल) प्राप्त किए गए हों।
- (3) भारत के किसी भी एक केंद्र में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में सिम्मिलित होने के लिए एक अभ्यर्थी को अपने व्यय पर आना होगा।
- (4) राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थी उस संस्था के प्रमुख के माधयम से आवेदन कर सकते है जहां वह अधययनरत हैं। इसके साथ कक्षा 8 की अंक सूची की सत्यापित प्रतिलिपि (संस्था प्रमुख द्वारा) होनी चाहिए। आवेदन विभागाध्यक्ष, शैक्षिक मापन और मूल्यांकन विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली-110016 के पास संबंधित वर्ष की 31 मार्च तक पहुँच जाना चाहिए।
- (5) पात्र अभ्यर्थियों को परिषद् रोल नंबर आवंटित करेगी और उन्हें अन्य आवश्यक निर्देशों सहित परीक्षा की दिनांक, समय और स्थान की सूचना दी जाएगी।
- (6) केंद्र परिवर्तन के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (7) यदि अभ्यर्थी इसमें अर्हता प्राप्त करता है तो भारत में साक्षात्कार में उसे अपने व्यय पर शामिल होना होगा।
- (8) यदि अभ्यर्थी चुना जाता है तो उसे छात्रवृत्ति केवल भारत में शिक्षा जारी करने के लिए दी जाएगी।

3.2.2 पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। यद्यपि, प्रश्नों का स्तर कक्षा 7 एवं 8 की सार्वजनिक परीक्षा के समान होगा। 'लर्न अबाउट द टैस्ट' नामक एक पृथक पुस्तिका में एम.ए.टी. और एस.ए.टी. दोनों से संबंधित प्रश्नोत्तर उदाहरणार्थ दिए गए हैं। यह पुस्तिका मुद्रित रूप में होने के साथ-साथ एन.सी.ई.आर.टी. की वेबसाइट www.ncert.nic.in पर भी उपलब्ध है।

3.2.3 परीक्षण की योजना निम्नलिखित है

परीक्षण	अवधि	प्रश्नों की	अधिकतम	अर्हता अंक	
		संख्या	अंक	सामान्य वर्ग	अ.जा./ अ.ज.जा.वर्ग
मानसिक योग्यता परीक्षा (एम.ए.टी.)	90 मिनट	90	90	40% अर्थात् 36 अंक	32% अर्थात् 29% अंक
शैक्षिक योग्यता परीक्षण(एस.ए.टी.)	90 मिनट	90	90	40% अर्थात् 36 अंक	32% अर्थात् 29 अंक
साक्षात्कार	15-20 ਸਿਜਟ		25	अर्हता ः	अंक नहीं है

3.2.4 लिखित परीक्षा

लिखित परीक्षा में भाग I एम.ए.टी. और भाग II एस.ए.टी. शामिल होंगे। दोनों परीक्षाएँ एक छोटे से अंतराल पर अलग-अलग की जाएँगी।

3.2.5 मानसिक योग्यता परीक्षा

चार विकल्पों सिंहत इसमें 90 बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें से केवल एक सही उत्तर होगा।

प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पुस्तिका दोनों में दिए गए निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थी को एक अलग उत्तर पुस्तिका पर प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे।

3.2.6 शैक्षिक योग्यता परीक्षा

शैक्षिक योग्यता परीक्षा में एक अंक वाले 90 बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प होंगे, जिनमें से केवल एक सही उत्तर होगा। इसमें 35 प्रश्न विज्ञान से, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान से तथा 20 प्रश्न गणित में से होंगे। विज्ञान में प्रश्न भौतिकी, रसायन और जीविवज्ञान से होंगे। इसी प्रकार, सामाजिक विज्ञान में प्रश्न इतिहास, भूगोल और नागरिकशास्त्र में से होंगे। गणित में बीजगणित, अंकगणित, रेखागणित, त्रिकोणिमिति, सांख्यिकी और क्षेत्रमिति को लिया जाएगा। प्रत्याशियों को परीक्षा केंद्र पर निर्देशानुसार एक अलग उत्तर पत्र पर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं।



महत्वपूर्ण टिप्पणी : दोनों परीक्षाओं की प्रश्न पुस्तिकाएँ (मानसिक योग्यता परीक्ष और शैक्षिक योग्यता परीक्षा) सरकारी प्रलेख हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा की समाप्ति पर उत्तर पत्रों के साथ उन्हें वापस करना होगा। परीक्षा की समाप्ति पर भी ये पुस्तिकाएँ किसी को नहीं दी जाएँगी और एन.सी.ई.आर.टी. को वापस दी जाएँगी

3.2.7 माध्यम

परीक्षा निम्नलिखित भाषाओं में संचालित की जाएगी: असमी, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तिमल, तेलुगु, उर्दू।

अभ्यर्थी आवेदन प्रपत्र में जिस भाषा में परीक्षा देना चाहते हैं, उस विकल्प का उल्लेख करें।

इसके अनुसार केंद्र पर अभ्यर्थी को उस भाषा में प्रश्न पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी। इस विकल्प के उपयोग के बाद, परीक्षा के माध्यम परिवर्तन के किसी निवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

3.2.8 रोल नंबरों का आवंटन

द्वितीय स्तर की परीक्षा के लिए एन.सी.ई.आर.टी. अभ्यर्थियों को सीधे ही रोल नंबरों की सूचना देगा। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के पूर्व पते में अगर कोई परिवर्तन होता है तो अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह इसकी सूचना राज्य परीक्षा प्राधिकरण को दे, जो इसकी सूचना एन.सी.ई.आर.टी. को देगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा द्वितीय स्तर की परीक्षा का प्रवेश पत्र पाने के बाद उसके पते में कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना सीधे केवल एन.सी.ई.आर.टी. को दी जा सकती है।

3.2.9 परीक्षा का स्थान, दिन और समय

प्रवेश पत्र में परीक्षा का स्थान, रोल नंबर, दिनांक और समय की सूचना होगी।

3.2.10 फ़ोटो जमा करना

अभ्यर्थी को जारी किए गए प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी द्वारा भरा गया प्रवेश कार्ड होगा। प्रवेश कार्ड में उसे उचित स्थान पर सत्यापित पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगानी होगी। यह प्रपत्र राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के दिन केंद्र अधीक्षक के पास जमा करना होगा।

विशेष मामलों में केंद्र अधीक्षक स्वनिर्णय पर अभ्यर्थी को बिना फ़ोटो के प्रवेश दे सकते हैं। यद्यपि, अभ्यर्थी परीक्षा के तुरंत बाद एक सत्यापित फ़ोटो केंन्द्र अधीक्षक के पास जमा करेगा, जो उसे एन.सी.ई.आर.टी. को अग्रेषित करेंगे।

3.2.11 परीक्षा केंन्द्र

सामान्यतया एक राज्य के अभ्यर्थियों को उसी राज्य में केंद्र आवंटित किया जाता है। प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के लिए एक केंद्र होता है।

केंद्र पर परीक्षा का संचालन एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा नियुक्त केंद्र अधीक्षक के निरीक्षण में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के परामर्श से किया जाएगा। प्रत्येक केंद्र के लिए एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा एक स्वतंत्र निरीक्षक भी नियुक्त किया जाता है।

3.2.12 केंद्र में परिवर्तन

विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत कुछ अपवादस्वरूप मामलों में, जैसे कि अभ्यर्थी के अभिभावकों को स्थानांतरण होने पर, प्रवेश पत्र जारी होने के पंद्रह दिनों के अंदर एन.सी.ई.आर.टी. में लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर परीक्षा केंद्र में परिवर्तन किया जा सकता है। यद्यपि, यह विदित हो कि ऐसे मामलों में अभ्यर्थी को बदले गए केंद्र पर अंग्रेजी माध्यम की परीक्षा पुस्तिका प्रदान की जाएगी।



3.2.13 परीक्षा का संचालन

केंद्र अधीक्षक एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा घोषित परीक्षा की तिथि और समय पर परीक्षा संचालित करेगा। वह एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा परीक्षा के संचालन के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करेगा। ऐसी विभिन्न घटनाओं के लिए, जैसे कि देर से आना, अनाचार का उपयोग, सहायक का उपयोग दृष्टहीन या बीमार अभ्यर्थियों के मामले में तथा एन.सी.ई.आर.टी. के निर्देशों के अंतर्गत न आने वाले अन्य मामलों में केंद्र अधीक्षक द्वारा संबद्ध) राज्य के परीक्षा बोर्ड के नियमों का अनुपालन किया जाएगा।

3.2.14 अंक प्रदान किया जाना

दोनों परीक्षाओं में प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक होगा। सही उत्तर के लिए अभ्यर्थी को एक अंक मिलेगा। इन दोनों परीक्षाओं में ऋणात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। तथापि, अभ्यर्थियों को इसे केवल अनुमान के आधार पर हल नहीं करने की सलाह दी जाती है, इससे उन्हें कोई सहायता नहीं मिलती।

3.2.15 परिणाम का संसाधान

एम.ए.टी. तथा एस.ए.टी., दोनों की उत्तर पुस्तिकाओं में अंक प्रदान करने का कार्य कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। सभी संभव सावधानियां रखी जाती हैं तथा त्रुटिरहित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए परिणामों के संसाधान में आवश्यक जाँच की जाती है।

3.3 साक्षात्कार

प्रतिभा के आधार पर प्रत्याशियों की एक निश्चित संख्या साक्षात्कार के लिए बुलाई जाएगी। सामान्यतया साक्षात्कार जुलाई और अगस्त माह में होंगे। केवल साक्षात्कार की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को लगभग पंद्रह दिन पूर्व, राष्ट्रीय स्तर की लिखित परीक्षा के समय प्रवेश पत्र में दिए गए पते पर पंजीकृत पत्रों द्वारा सूचित किया जाएगा। डाक में देरी अथवा अन्य कारणों से पत्र प्राप्त न होने के लिए एन. सी.ई.आर.टी. उत्तरदायी नहीं होगा।

3.3.1 साक्षात्कार का स्थान

विभिन्न क्षेत्रों से पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर देश में विभिन्न स्थानों पर साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं।

3.3.2 यात्रा भत्ता

साक्षात्कार में शामिल होने के लिए प्रत्याशियों को आने-जाने के लिए दूसरे दर्जे का रेल किराया दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में हवाई जहाज़ का किराया नहीं दिया जाएगा।

3.3.3 परिणाम की घोषणा

अंतिम निर्णय राष्ट्रीय स्तर की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार अभ्यर्थियों के अंकों को जोड़कर किया जाएगा। केवल चुने गए अभ्यर्थियों को पंजीकृत पत्रों द्वारा सूचित किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को बताया नहीं जाएगा।

3.3.4 पुनःपरीक्षण

चूँिक परिणाम घोषित करने के पूर्व एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा गहन जाँच और प्रति परीक्षण किए जाते हैं, उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन या पुन:परीक्षण के किसी निवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. छात्रवृत्ति के संवितरण हेतु नियम और विनियम

विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और वाणिज्य विषयों को पढ़ने वाले प्राप्तकर्ता पी.एच.डी. स्तर तक छात्रवृत्ति पाने की पात्रता रखते हैं जबिक चिकित्साशास्त्र, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी विधि और प्रबंधन जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में वे द्वितीय डिग्री तक छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, भाषा, साहित्य और/या मानविकी पाठ्यक्रमों में से किसी भी स्तर तक कोई भी छात्रवृत्ति नहीं दी जाती। छात्रवृत्ति निम्नलिखित परिस्थितियाँ पूरी करने पर दी जाएँगी।

4.1 पात्रता की सामान्य शर्तें

- (1) प्राप्तकर्त्ता को छात्रवृत्ति की पात्रता है यदि वह:
 - (क) अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अध्ययन करता है।
 - (ख) अच्छा आचरण बनाए रखता है जैसा कि महाविद्यालय/संस्थान के प्रमुख द्वारा प्रमाणित किया जाए और अपना अध्ययन एक नियमित विद्यार्थी के रूप में जारी रखता है।
 - (ग) बिना उचित अवकाश के अनुपस्थित नहीं होता है।
 - (घ) पूर्णकालिक आधार पर अध्ययन करता है।
 - (ड़) कोई रोज़गार नहीं करता है।

- (2) राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना पी.एच.डी. कोर्स को छोड़कर, छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं को कोई अन्य छात्रवृत्ति स्वीकार करने से वंचित नहीं करती है।
- (3) किसी भी पाठ्यक्रम के लिए विदेश में अध्ययन हेतु कोई छात्रवृत्ति उपलब्ध नहीं होगी।
- (4) जिस शैक्षिक सत्र के लिए दावा किया गया है उसकी समाप्ति से 12 माह की अविध पूरी होने के बाद छात्रवृत्ति की किसी बकाया राशि का कोई दावा नहीं माना जाएगा।
- (5) यदि कोई प्राप्तकर्ता पंजीकरण/प्रवेश के एक माह के अंदर अपने पाठ्यक्रम का अध्ययन छोड़ता है तो उसे कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी।
- (6) किसी गंभीर बीमारी के कारण यदि छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल नहीं हो सकता है तो उसे बीमार होने के तीन माह के भीतर संस्थान के अध्यक्ष के माध्यम से चिकित्सा प्रमाण-पत्र भेजना होगा। बीमारी की अविध, विशेषज्ञ, जो पंजीकृत चिकित्सक हो, द्वारा स्पष्ट रूप से प्रमाणित होनी चाहिए। छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता जिस पाठ्यक्रम में अध्ययनरत है उन्हें उस पाठ्यक्रम को आगे जारी रखने की सुविधा दी जाएगी बशर्ते प्रधानाचार्य अथवा संस्थान के अध्यक्ष यह प्रमाणित करें कि वर्ष के दौरान छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता के संपूर्ण प्रदर्शन का स्तर 50 प्रतिशत या उससे ऊपर रहा।
- (7) छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता को पिछली कक्षा/पाठ्यक्रम के परिणाम की घोषणा के तीन माह के भीतर अगली कक्षा/वांछित पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना होगा। पाठ्यक्रम में परिवर्तन की अनुमित नहीं है। तथापि, अपिरहार्य परिस्थितियों के कारण विश्वविद्यालय अथवा परीक्षा निकायों जैसे सी.बी.एस.ई. द्वारा आयोजित किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा में अनुबंधित अविध से अधिक विलंब हुआ तो इन पाठ्यक्रमों की प्रवेश अविध को सामान्यतः छह महीनों से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। इन मामलों में परीक्षा निकाय से एक प्रमाण-पत्र अपेक्षित होगा। इस प्रकार के छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं की छात्रवृत्ति आगे जारी रखने का निर्णय प्रत्येक मामले के आधार पर लिया जाएगा।
- (8) यदि कभी किसी कारणवश अध्ययन में एक शैक्षिक सत्र का कोई अंतराल हुआ तो छात्रवृत्ति देनी बंद कर दी जाएगी।

- (9) छात्रवृत्ति संवितरण के नियमों के आधार पर बंद की गई छात्रवृत्ति किसी भी परिस्थिति में दोबारा शुरू नहीं की जा सकती है।
- (10) सभी नियमों में समय-समय पर जैसे और जब आवश्यक होगा परिवर्तन किया जा सकता है और उन्हें सभी छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं पर अनिवार्यता से लागू किया जाएगा।

4.2 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति जारी रखने की पात्रता और अन्य शर्तें

- (1) चुने गए प्रत्याशियों को छात्रवृत्ति उन्हें कक्षा 9 में उत्तीर्ण किए जाने पर शुरू की जाएगी।
- (2) माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं (कक्षा 9 से 12) अथवा समकक्ष स्तर पर छात्रवृत्ति केवल भारत में अधिकतम चार वर्ष की अविध तक देय है।
- (3) इस अवस्था पर डिप्लोमा/प्रमाण पत्र स्तर के पाठ्यक्रमों में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति देय नहीं है।
- (4) कक्षा 10 में छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता के कक्षा 9 में औसतन कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए और अगली कक्षा के लिए प्रथम प्रयास में स्पष्ट रूप से उत्तीर्ण हुआ हो।
- (5) उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता द्वारा कक्षा 10 अथवा समकक्ष परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक अवश्य प्राप्त होने चाहिए।
- (6) +2 स्तर पर द्वितीय वर्ष की छात्रवृत्ति को जारी रखने के लिए प्राप्तकर्ता द्वारा +2 स्तर के प्रथम वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत अंक तथा अगली कक्षा के लिए प्रथम प्रयास में स्पष्ट रूप से उत्तीण हुआ हो।
- (7) यदि संस्थान द्वारा +2 स्तर पर प्रथम वर्ष के अंत में परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है तो द्वितीय वर्ष के लिए छात्रवृत्ति, संस्थान प्रमुख द्वारा इस आशय का प्रणाम-प्रत्र देने पर दी जाएगी।

4.3 प्रथम डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों पर छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए पात्रता और अन्य शर्तें

- (1) बुनियादी विज्ञानों, सामाजिक विज्ञानों या अभियांत्रिकी, चिकित्सा या प्रबंधन के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रथम डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों में छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए प्राप्तकर्त्ता द्वारा +2 स्तर के अंत अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए जाने चाहिए।
- (2) अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यर्थियों की छात्रवृत्ति का भुगतान संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे.ई.ई.) आई.आई.टी. द्वारा चयन करने और एक-वर्षीय बी.टेक. प्रारंभिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के पश्चात् किया जाएगा। यह छात्रवृत्ति बी.टेक. प्रथम वर्ष में जारी रहेगी बशर्तें कि आई.आई.टी. द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करते हों।
- (3) द्वितीय तथा आगामी वर्षों में छात्रवृत्ति निम्नलिखित शर्तों पर जारी की जाएगी।
 - (क) सभी पेपरों में पहली बार उत्तीर्ण होकर अगली कक्षा में स्पष्ट कक्षोन्नति।
 - (ख) आंतरिक परीक्षा में कम से कम कुलांक 50 प्रतिशत होने चाहिए। तथापि, एम.बी.बी.एस. अभ्यर्थियों को इंटर्नशिप के लिए छात्रवृत्ति केवल अंतिम डिग्री में 60 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर दी जाएगी।
 - (ग) यदि परिणाम अंकों में न होकर ग्रेड में दिए जाते हैं, ये कम से कम 50 प्रतिशत या उससे अधिक के समकक्ष होने चाहिए।
 - (घ) यदि कोई संस्थान/विश्वविद्यालय ऐसी कक्षा के बाद वार्षिक परीक्षा संचालित नहीं करता हो तो प्राप्तकर्ता के प्रधानाचार्य/प्रमुख द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र स्वीकार्य होगा कि प्राप्तकर्ता का कुलांक निष्पादन 50 प्रतिशत या अधिक है।
 - (ङ) आई.आई.टी. और अन्य संस्थान जहाँ परीक्षा की सेमिस्टर प्रणाली का पालन होता है अंक अथवा संचित ग्रेड बिंदु औसत (सी.जी.पी.ए.) पर वहाँ अकादिमक वर्ष की समाप्ति पर विचार किया जाएगा।

- (4) छात्रवृत्ति प्राप्तकर्त्ता, बिना कोई शैक्षिक सत्र गंवाए, अपने चालू पाठ्यक्रम के अंदर अथवा एक शैक्षिक सत्र पूरा करने के पश्चात् अपने विषय-क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों के दूसरे या आने वाले वर्षों के दौरान विषय बदलने की अनुमित नहीं दी जाएगी। छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता को शैक्षिक सत्र के अंत में इस पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा में शामिल होना होगा और विषय-क्षेत्र के परिवर्तन की तारीख का ध्यान किए बिना छात्रवृत्ति को जारी रखने हेतु अन्य शर्तों को पूरा करना होगा।
- (5) स्नातकोत्तर डिग्री के लिए चार/पाँच साल के समेकित पाठ्यक्रम के मामले में, छात्रवृत्ति की दर अंतिम दो सालों में स्नातकोत्तर स्तर की दरों पर होगी तथा शेष अवधि के लिए स्नातक दरों पर दी जाएगी। इन मामलों में तीसरे/चौथे साल में छात्रवृत्ति केवल तभी स्नातकोत्तर दरों पर दी जाएगी अगर संस्थान के प्रमुख प्रमाणित करें कि दूसरे/तीसरे साल में प्रत्याशी का प्रदर्शन कम से कम 60 प्रतिशत अंक के समकक्ष रहा है।

4.4 द्वितीय डिग्री स्तर पाठ्यक्रम पर पात्रता तथा अन्य शर्तें

- (1) छात्रवृत्ति प्राप्तकर्त्ता द्वारा प्रथम डिग्री स्तर पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा प्रथम प्रयास में 60 प्रतिशत अंक में उत्तीर्ण होनी चाहिए अथवा पाठ्यक्रम की विश्वविद्यालय परीक्षा में सभी वर्षों के लिए अंकों को जोड़ने के पश्चात् इसके समकक्ष ग्रेड होना चाहिए।
- (2) छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता द्वितीय वर्ष में छात्रवृत्ति पाने के लिए तभी पात्र होगा यिद वह प्रथम वर्ष के अंत में कम से कम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करे। यिद कोई विश्वविद्यालय परीक्षा नहीं होती है या ग्रेड नहीं दिए जाते हैं तो संस्था के प्रमुख की ओर से उपयुक्त प्रमाण-पत्र स्वीकार किया जाएगा।
- (3) यदि इस स्तर पर संस्थान में सेमेस्टर प्रणाली है तो प्राप्तकर्ता द्वारा एक अकादिमक वर्ष के अंत में आयोजित परीक्षा में पाए गए अंक, ग्रेड या सी.जी.पी.ए., जैसा भी मामला हो, अगले वर्ष उसकी छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए इस पर विचार किया जाएगा।

(4) इस स्तर पर छात्रवृत्ति, प्रबंधन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम या चिकित्सा शास्त्र की किसी विशिष्ट शाखा या शल्य चिकित्सा के अध्ययन हेतु उपलब्ध होगी अगर उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु संबंध विषय में डिग्री न्यूनतम योग्यता हो।

4.5 एम.फ़िल./पी.एच.डी. स्तर पर पात्रता तथा अन्य शर्तें

- (1) प्राप्तकर्ता छात्र पूर्व-डॉक्टरल/एम.फिल. के दौरान छात्रवृत्ति प्राप्त करने का पात्र होगा यदि पी.एच.डी. कार्य हेतु ये संस्थागत आवश्यकताएँ हों। इस छात्रवृत्ति का जारी रहना पूर्व-निर्धारित पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरे होने पर निर्भर करेगा।
- (2) पी.एच.डी. डिग्री हेतु अनुसंधान कार्य करने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने का पात्र वही होगा जिसने एम.ए./एम.एससी./एम.फिल. पाठ्यक्रम की परीक्षा प्रथम प्रयास में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों में उत्तीर्ण की हो अथवा पाठ्यक्रम की विश्वविद्यालय परीक्षा में सभी वर्षों के अंकों को जोड़ने के पश्चात् इसके समकक्ष ग्रेड होना चाहिए। प्राप्तकर्ता छात्र को एम.ए./एम कॉम/एम. एससी. परिणाम घोषित होने के छह माह के अंदर अनुसंधान/पूर्व-डॉक्टरल कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। तत्पश्चात कार्य प्रारंभ करने की तिथि संबद्ध पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) के प्रमाण-पत्र सहित कार्य क्षेत्र दर्शाते हुए एन. सी.ई.आर.टी. को सूचित करनी चाहिए।
- (3) दो वर्षों की समाप्ति पर दो स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा कार्य की गुणवत्ता का एक मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके आधार पर छात्रवृत्ति जारी रखी जा सकती है या समाप्त की जा सकती है।
- (4) दूसरे और चौथे वर्षों में छात्रवृत्ति केवल तभी दी जाएगी यदि गाइड द्वारा प्रमाणित किया जाए कि पहले और तीसरे वर्षों के दौरान किया गया कार्य उच्च गुणवत्ता का है।
- (5) विषय/सुपरवाइजर/संस्थान में परिवर्तन की अनुमित सुपरवाइजर तथा एन. सी.ई.आर.टी. के अनुमोदन से दी जाएगी।
- (6) प्राप्तकर्ता द्वारा अधिक से अधिक शिक्षण कार्य उसके चार वर्षों के कार्यकाल में से कुल छह माह की अविध के लिए एन.सी.ई.आर.टी. की

पूर्व अनुमित से केवल तब लिया जा सकता है जब उसका पर्यवेक्षक यह प्रमाणित करे कि यह कार्य उसकी प्रगित के लिए प्रतिकूल नहीं है। इस अविध के लिए कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी और निस्संदेह यह चार वर्षों की कुल अविध का एक भाग माना जाएगा।

- (7) छात्रवृत्ति अनुसंधान कार्य शुरू होने के माह से आरंभ की जाएगी, जैसा कि सुपरवाइजर द्वारा प्रमाणित किया जाए। जबिक, नियमित पंजीकरण दस्तावेज अनुसंधान कार्य शुरू होने के छह माह के अंदर जमा किए जाने चाहिए। पूर्व-डॉक्टरल/एम.फिल. पाठ्यक्रमों के मामले में छात्रवृत्ति प्रवेश के माह से दी जाएगी।
- (8) प्राप्तकर्ता पी.एच.डी. के लिए सामान्यता चार वर्ष तक की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पाने का पात्र होगा। अगर चार वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले वह शोध प्रबंध/लघु शोध प्रबंध जमा करता है परंतु उसी समस्या पर उसी गाइड के निरीक्षण में काम करना जारी रखता है जिस पर शोध प्रबंध/लघु शोध प्रबंध लिखा है, वह मौखिक परीक्षा अथवा चार वर्ष की समाप्ति, जो भी पहले हो, तक छात्रवृत्ति पाने का पात्र होगा। उक्त मामलों में सुपरवाइजर को प्रमाणित करना होता है कि शोध प्रबंध/लघु शोध प्रबंध जमा करने के बाद पी.एच.डी. अनुसंधान कार्य जारी रखना आवश्यक है और किया गया है।

4.6 पी.एच.डी. कार्य के लिए आकस्मिकता अनुदान

- (1) अनुदान का उपयोग पर्यवेक्षक के अनुमोदन से किया जाएगा।
- (2) सभी खरीद संस्थान के नियमों के अनुसार की जाएगी।
- (3) यह अनुदान अनुमोदित शोध परियोजनाओं के संबंध में आवश्यक उपकरणों, रासायनिक उपकरणों, पुस्तकों, पित्रकाओं, फ़ोटोकापी, माइक्रोफ़िल्म, टंकण, डाक खर्च तथा क्षेत्र कार्य/यात्रा (केवल भारत के अंदर) पर पर्यवेक्षक तथा विश्वविद्यालय की सहमित से खर्च किया जाएगा, जहाँ छात्र काम करता है।
- (4) यह अनुदान परीक्षा तथा अन्य शुल्कों के भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

- (5) छात्रवृत्ति की समाप्ति पर आकस्मिकता अनुदान से खरीदे गए उपकरणों तथा अन्य अनुपभोज्य वस्तुओं पर संस्थान/विश्वविद्यालय का अधिकार होगा जहां छात्र काम करता है। अगर विश्वविद्यालय चाहे तो छात्र को वे पुस्तकें रखने की अनुमित दे सकता है जो इस आकस्मिकता अनुदान से खरीदी गई हैं।
- (6) आकस्मिकता अनुदान के सभी खर्चों के लिए इस आशय का एक प्रमाण-पत्र दिया जाना, कि ये खर्च अनुमोदित शोध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए थे, आवश्यक होगा।
- (7) अनुमोदित क्षेत्र कार्य/अनुसंधान कार्य के संबंध में यात्रा (संबंधित अकादिमक एवं शोध सम्मेलनों और गोष्ठियों में जाने) के लिए भत्ता विश्वविद्यालय के शिक्षण वर्ग के लिए लागू होने वाले नियमों के अनुसार देय होगा।
- (8) अनुसंधान के प्रथम वर्ष के लिए आकस्मिकता अनुदान और प्रथम वर्ष की छात्रवृत्ति संबद्ध विश्वविद्यालय के प्रमुख को जारी किए जाएँगे। आने वाले वर्षों के लिए आकस्मिता अनुदान संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र और निरीक्षक तथा विभागाध्यक्ष द्वारा भली-भाँति प्रमाणित खर्च का लेखा-जोखा प्राप्त होने पर जारी किया जाएगा।
- (9) छात्रवृत्ति अविध के प्रत्येक वर्ष के अंत में शेष बची हुई धनराशि आने वाले वर्षों के लिए देय आकस्मिकता अनुदान के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए वर्ष की गिनती अनुसंधान कार्य आरंभ करने की तिथि से मानी जाएगी। इसी प्रकार आकस्मिकता अनुदान शेष बिना खर्च हुई राशि, छात्रवृत्ति के समाप्त होने/पूरा होने/छोड़ देने पर एन.सी.ई. आर.टी. को वापस दे दी जाएगी।

4.7 छात्रवृत्ति की दरें

विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार होंगी:

क्र.स.	स्तर	छात्रवृत्ति को दर
1.	सभी कक्षाओं के लिये	रु. 500 प्रति माह
2.	पी.एच.डी. (चार वर्ष के लिये)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुसार

4.8 भुगतान का तरीका

- (1) छात्रवृत्ति का भुगतान सीधे प्राप्तकर्त्ता को नहीं दिया जाएगा, भुगतान केवल संबद्ध संस्थान के प्रमुख के माध्यम से किया जाएगा।
- (2) छात्रवृत्ति का भुगतान संस्थान के प्रमुख के माधयम से पिछले साल के प्रगति प्रतिवेदन के साथ एन.सी.ई.आर.टी. को एक निर्धारित प्रपत्र में प्राप्तकर्त्ता की ओर से बिल की प्राप्ति पर संस्थान को किया जाएगा।
- (3) छात्रवृत्ति प्राप्तकर्त्ता के संस्थान में पंजीकरण करने के माह से शुरू होगी और उसके अध्ययन पूरा होने के एक माह पूर्व, उस विशिष्ट पाठ्यक्रम की अधिकतम अविध तक जारी रहेगी।
- (4) संस्थान को छात्रवृत्ति 12 महीनों की कुल अवधि के लिए अग्रिम रूप से एकमुश्त प्रदान की जाएगी यद्यपि, प्राप्तकर्त्ता को प्रत्येक माह के अंत में मासिक आधार पर छात्रवृत्ति मिलेगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु शैक्षिक स्तर के अन्त में दावा पेश किया जाता है तो उसके द्वारा उसी शैक्षणिक स्तर की अंक सूची भी प्रस्तुत करनी होगी जिसके लिए दावा पेश किया गया है।



(5) छात्रवृत्ति का भुगतान छुट्टी अवधि के दौरान संबंधित छुट्टी के नियमों के अनुसार नियंत्रित होगा।

4.9 सभी छात्रवृत्ति प्राप्तकर्त्ताओं पर लागू छुट्टी के नियम

- (1) छुट्टी लिए जाने के पूर्व यह संस्थान/विभाग के प्रमुख से मंज़ूर कराई जानी चाहिए। अध्ययन/शोध से बिना छुट्टी की अनुपस्थिति छात्रवृत्ति में रुकावट ला सकती है।
- (2) चिकित्सकीय आधार के अलावा आम तौर पर प्राप्तकर्त्ता को छात्रवृत्ति के साथ कोई अवकाश नहीं दिया जाएगा।
- (3) एक अकादिमक वर्ष में अधिकतम चार माह का चिकित्सकीय अवकाश देय होगा, अगर एक सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार संस्तुत किया जाए:
 - (क) अगर अनुपस्थिति दो माह से अधिक नहीं है तो पूरी छात्रवृत्ति;
 - (ख) अगले दो माह के लिए आधी छात्रवृत्ति;
 - (ग) चार माह से अधिक अनुपस्थिति पर कोई छात्रवृत्ति नहीं है।
- (4) विवाहित पुरुषों/महिलाओं के लिए मातृत्व के आधार पर अनुपस्थित रहने के लिए 15/135 दिनों तक पूरी दरों पर छात्रवृत्ति देय होगी।
- (5) पी.एच.डी. स्तर पर कार्य कर रहे प्राप्तकर्त्ता यद्यपि छात्रवृत्ति के साथ एक अकादिमक वर्ष में अधिकतम 30 दिनों का आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं। यह अवकाश पी.एच.डी. पर्यवेक्षक द्वारा दिया जाएगा।
- (6) मातृत्व अवकाश सिंहत चिकित्सकीय अवकाश हेतु आवेदन एन.सी.ई. आर.टी. को बीमारी/प्रसृति के 15 दिनों के अंदर भेजा जाना चाहिए।

5. परिपोषण कार्यक्रम

देश में उच्च शिक्षा के विभिन्न संस्थानों में प्राप्तकर्ता के लाभ के लिए परिषद् परिपोषण कार्यक्रमों का आयोजन करती है। प्राप्तकर्त्ताओं को अपने लाभों के लिए इन परिपोषण कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। नोट: अतिरिक्त सूचना के लिए अभ्यर्थी निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं-प्रमुख शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन विभाग राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् श्री अरिवन्दो मार्ग नई दिल्ली - 110016 फोन न. 26515382, 26560464, 26562704 फैक्स 26515382 एन.सी.ई.आर.टी.वेबसाईट:www.ncert.nic.in

परिशिष्ट

संपर्क अधिकारियों के पतों की सूची-2007

		T .
राज्य/संघ	फोन	पते
राज्य क्षेत्र		
पूर्वी क्षेत्र		
अरूणाचल प्रदेश	0360-2290492	उपनिदेशक, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा विद्यालयी शिक्षा निदेशालय अरूणाचल प्रदेश सरकार नाहरलगुन-791111
असम	0361-2380935	उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय काहिलीपारा, गुवाहाटी-781019 (असम)
अंडमान एवं निकोबार	03192-232730	प्राचार्य राज्य शिक्षा संस्थान शिक्षा सदन, लिंक रोड द्वीप समूह पोर्टब्लेयर-744101 (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह)
बिहार	0612-2370783	निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् डाकघर-महेन्द्रू, पटना-800006 (बिहार)
झारखंड	0651-2502265	क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडलकाली बाबू स्ट्रीट राँचीं, झारखंड-834001
उड़ीसा	0674-2351177	सहायक निदेशक, शिक्षक शिक्षा निदेशालय एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, भुवनेश्वर-751001 (उड़ीसा)
पश्चिम बंगाल	033-23345952 033-23344504	सहायक निदेशक, विद्यालय शिक्षा (बजट), विद्यालय शिक्षा निदेशालय, विकास भवन, सातवाँ तल, ईस्ट ब्लॉक, सॉल्टलेक सिटी कोलकाता-700091 (पश्चिम बंगाल)

उत्तरी क्षेत्र		
चडीगढ़	0172-2604131	निदेशक, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग राज्य शिक्षा संस्थान, सेक्टर 32-सी, चंडीगढ़ (यू.टी.)-160032
दिल्ली	26280413, 26280410	वरिष्ठ विज्ञान सलाहकार, विज्ञान शाखा, शिक्षा निदेशालय लेडी श्रीराम कॉलेज के पीछे अमर कॉलोनी, लाजपत नगर -IV नई दिल्ली-110024
जम्मू और कश्मीर	0191-2585480 0194-2491181	 निदेशक (शैक्षणिक), जम्मू और कश्मीर राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड, रिहाड़ी मोहल्ला, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)-185005
		 निदेशक (शैक्षणिक), जम्मू और कश्मीर राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड, न्यू कैंपस, बेमीना, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)-190010
हरियाणा	9811851525 95124-2321916 95124-2323628	प्रवक्ता (भौतिकी), विज्ञान खंड, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, सोहना रोड पंचायत भवन के सामने गुड़गाँव-122001 (हरियाणा)
हिमाचल प्रदेश	01792-228135	प्रधानाचार्य, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् रेवॉनसोलन-173211(हिमाचल प्रदेश)
पंजाब	0172-2702536	वरिष्ठ प्रवक्ता, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान (पंजाब), एस.सी.ओ. 66-67, सेक्टर 17-ए चंडीगढ़-160017
राजस्थान	0145-2420597 0145-2622877 0294-2415171	1) कक्षा 10 के लिए सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर-305001 (राजस्थान)

		2) कक्षा 8 के लिए निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान 111, सहेली मार्ग उदयपुर-313001 (राजस्थान)
उत्तर प्रदेश	0532-2256511	निदेशक मनोविज्ञान ब्यूरो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, लाउदर रोड इलाहाबाद-211001 (उत्तर प्रदेश)
उत्तराखंड	01378-227459	सहायक निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् पो.ऑ. नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल-249175 (उत्तराखंड)
पश्चिमी क्षेत्र		
छत्तीसगढ़	0771-2443297 0771-2443596	सहायक प्रोफ़ेसर, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, डी. आई. ई. टी. (डायट) कैंपस शंकर नगर, रायपुर छत्तीसगढ़-492007
दमन और दीव	0260-2230295	प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय कस्टम हाउस के पीछे वानियावाड, नानी दमन-396210 (दमन और दीव)
दादर और नागर हवेली	0260-3091808	प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय, झंडा चौक, सिलवासा-396230 (वाया वापी के मार्ग से) दादर और नागर हवेली
गोवा	0832-417276	उपनिदेशक, राज्य शिक्षा संस्थान एल्टो-पोरवोरिम, बारदेज-403521 (गोवा)
गुजरात	079-23248461	अध्यक्ष, गुजरात राज्य परीक्षा बोर्ड (सरकारी लाइब्रेरी के समीप) सेक्टर-21 गाँधी नगर-382021 (गुजरात)

);
मध्यप्रदेश	0755-5229399	सहायक प्रोफ़ेसर, राज्य शिक्षा केंद्र पुस्तक
	0755-4229399	भवन, बी विंग, अरेरा हिल्स,
		भोपाल-462011 (मध्यप्रदेश)
महाराष्ट्र	020-26139525	आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद्
	020-26123066	17-डॉ. अम्बेडकर रोड
	26123067	पुणे-411001 (महाराष्ट्र)
उत्तर-पूर्व क्षेत्र		
उत्तर-पूर्व क्षत्र		
मणिपुर	0385-2415604	विज्ञान पदोन्नति अधिकारी शिक्षा निदेशालय (विद्यालयी) लंफिलपट, इम्फाल-795004 (मणिपुर)
मेघालय	0364-2233752	प्रवक्ता (वरिष्ठ ग्रेड), शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण निदेशालय अर्बुधानाट रोड, नानगरिमाऊ शिलांग-793011 (मेघालय)
मिजोरम	0389-2343200	उपनिदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, चाल्तलैंग आइजॉल-796012 (मिजोरम)
नागालैंड	0370-2260502	1) कक्षा 10 के लिए परीक्षा नियंत्रक, नागालैंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड, पो.बॉ. 98 कोहिमा – 797001 (नागालैंड)
		2) कक्षा 8 के लिए सचिव, बी.ई.ई., विद्यालय शिक्षा निदेशालय, कोहिमा-797001 (नागालैंड)
 सिक्किम	03592-201029	उपनिदेशक (परीक्षा),
	PABX-220903	मानव संसाधन शिक्षा विभाग
		सिक्किम सरकार.
		तैशीलिंगगंगटोक-737103 (सिक्किम)

त्रिपुरा	0381-2354209	जिला शिक्षा अधिकारी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, जिला शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिमी जोन, कुन्जावन अगरतला, त्रिपुरा-799005 (पश्चिम)
दक्षिणी क्षेत्र		
आंध्र प्रदेश	040-23237343 23237344	उपायुक्त निदेशक कार्यालय शासकीय परीक्षाएँ चपल रोड, ए.वी.आई.डी.एस., हैदराबाद-500001
कर्नाटक	080-26422239 080-6422372/306	निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण विभाग नं. 4, 100 फीट रिंग रोड बनासशंकरी थर्ड स्टेज, बैंगलूर-560085 (कर्नाटक)
केरल	0471-2341883	सहायक प्रोफ़ेसर, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, विद्या भवन, पूजापुरा (पो.ऑ.) तिरुवन्नतपुरम-695012 (केरल)
लक्षद्वीप	04896-262218	प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, कावरत्ती द्वीप, लक्षद्वीप-682555
पांडिचेरी	0413-2200255	संयुक्त निदेशक, विद्यालय शिक्षा निदेशालय अन्ना नगर, पांडिचेरी-605005
तमिलनाडू	044-28278286 305, 295	निदेशक, शासकीय परीक्षाएँ कॉलेज रोड, कोडम्बक्कम चेन्नई-600006

NATIONAL TALENT SEARCH EXAMINATION

Information Brochure



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

NATIONAL TALENT SEARCH SCHEME

1. HISTORICAL BACKGROUND

The National Council of Educational Research and Training (NCERT) was established by the Government of India in the year 1961 with a view to bringing about qualitative improvement in school education in the country. No sooner the Council was set up than it mounted a number of programmes in this direction. One such programme was to identify and nurture the talented students. This programme took up the shape of a scheme called National Science Talent Search Scheme (NSTSS) in the year 1963 which provided for the identification of talented students and awarding them with scholarships. During the first year of the implementation of the scheme, it was confined to the Union Territory of Delhi wherein only 10 scholarships were awarded to the Class XI students.

In the year 1964 the scheme was extended to all the states and the union territories in the country with 350 scholarships for the students of Class XI. These scholarships were awarded on the basis of a written examination, a project report and interview. The written examination comprised the Science Aptitude Test and an Essay on a given scientific theme. The candidates were to submit the project report at the time of the written examination. A stipulated number of candidates selected on the basis of these three components were then subjected to personal interview. The performance of the candidates on these four components was eventually employed for the purpose of awarding scholarships. These

scholarships were awarded for pursuing education only in basic sciences up to doctoral level.

Consequent upon the introduction of 10+2+3 pattern of education, the NSTS scheme also underwent a change in the year 1976. It was no longer confined to only basic sciences but was extended to social sciences, engineering and medicine as well. It was renamed as National Talent Search Scheme (NTSS). Since the education system in the country was undergoing a change, the scheme was made open to the students of Classes X, XI and XII and separate examinations were conducted for each class. The number of scholarships was raised to 500. The selection procedure was also changed. Now the candidates were subjected to two objective type written tests namely the Mental Ability Test (MAT) and the Scholastic Aptitude Test (SAT). A stipulated number of candidates qualifying these two tests were subjected to face-to-face interview. The final awards were made on the basis of composite scores obtained in the MAT, the SAT and the interview.

The number of scholarships was again enhanced from 500 to 550 in the year 1981. These 50 scholarships were exclusively meant for Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) candidates. The number of scholarships was once again escalated to 750 in the year 1983 with a provision of 70 scholarships especially for SC/ST candidates. This arrangement continued until the scheme was decentralised in the year 1985. In the year 2000, the number of scholarships was raised from 750 to 1000 with the provision of reservation for SC and ST candidates based on the national norms of 15 per cent and $7\frac{1}{2}$ per cent respectively.

Yet another change in the scheme has been made in the year 2006 wherein the NTS examination will now be held at the end of Class VIII. However, the NCERT will conduct two more examinations for Class X students in the selection year 2007 and 2008 in order to give on opportunity to those who are presently in Classes X and IX. From the 2008 examination, a provision of 3 per cent reservation has been made for physically handicapped.

2. METAMORPHOSIS OF THE SCHEME

An experience of over two decades of the scheme brought it to the forefront that a large number of scholarships were restricted to certain pockets of the country and many areas remained unrepresentative. In the light of this, the scheme was recast in 1985.

The scheme, which until now was completely centralised, was partially decentralised and was confined to only Class X. Under the new arrangement the selection of candidates for the awards became a two-tier process. The states and the union territories were entrusted with the responsibility of conducting the first tier screening examination known as State Level Talent Search Examination. Each state and union territory was to select and recommend a stipulated number (state quota) of candidates for the national level examination to be conducted for about 3000 candidates by the NCERT. The number of scholarships, however still continued to be 750 including 70 for SC/ST candidates.

The state and the union territory quota was to be computed proportionately on the basis of the student enrolment at secondary level with a minimum of 10 for a union territory and 25 for a state and a maximum of 500 for either of the two. This quota was to be reviewed every three years.

The states had complete autonomy to design and conduct their written examinations. However, they were advised to follow the national pattern which comprised MAT and SAT. The MAT, which consisted of 100 multiple choice type questions, was to be attempted by all the candidates. The SAT consisted of 25 multiple choice type questions each on

eight subject areas namely Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, History, Geography, Civics and Economics. The candidates could choose any four out of these eight subjects and had to answer a total of 100 questions in the SAT.

A stipulated number of candidates who qualified at the national level examination were called for face-to-face interview. The award of scholarships was finally determined on the basis of the candidates' scores obtained in all the three components namely the MAT, the SAT and the Interview.

A crucial modification in the scheme was again made in the year 1995 when the provision of choice in the SAT was abolished and all the subjects were made compulsory. These subjects were Science, Social Science and Mathematics with 40, 40 and 20 questions respectively.

In the year 2000 the number of scholarships was raised from 750 to 1000.

A major change in the scheme came in 2006, The following modifications have been made in the scheme.

- v The scheme has been brought down from Class X to Class VIII.
- v The National Talent Search examination will be held at the end of Class VIII from the year 2007 onwards.
- v The Class VIII MAT and SAT will consist of 90 questions each.
- v SAT will have 35 questions for Social Science, 35 for Science and 20 for Mathematics.
- Quota for a state will be computed proportionally on the basis of student enrolment in Classes VII and VIII.
- v The amount of scholarship has been enhanced to Rs 500/- per month for all the students studying in Class IX onwards (irrespective of the

- class/course) except for Ph.D., wherein it is paid as per UGC norms.
- The criterion of parental income for deciding payment of scholarship has been discontinued.
- v Book grant has also been discontinued.
- From the 2008 examiniation, a provision of 3 per cent reservation has been made for physically handicapped.

The scholarships under the present scheme are awarded to the candidates for pursuing courses in sciences and social sciences up to doctoral level and in professional courses like medicine and engineering up to second-degree level subject to the fulfillment of the conditions provided in this brochure.

Further details of the scheme are given in the subsequent pages.

3. SELECTION PROCEDURE

Identification of talent comprises two-stage selection process. While the individual State/UT conducts the first stage selection, the second stage selection at the national level is carried out by the NCERT.

3.1 State Level Examination

Each State/UT conducts its own examination. They have the autonomy to lay down their own norms for the purposes of determining the eligibility of the candidates. This examination is primarily used to recommend a given number of candidates for the second level test to be conducted by the NCERT. This number is based on the enrolment of students at Classes VII and VIII in different States/UTs. The candidates are to be recommended on the basis of the merit in the written examination conducted by the States/UTs. The details of the number of candidates for different States/UTs as applicable will be notified separately.



The state level screening examination is conducted in all States/UTs on second Sunday of November except in Nagaland, Andaman and Nicobar Islands, Meghalaya and Mizoram where it will be conducted on second Saturday of November every year until and unless some special circumstances occur.

The addresses of the Liaison Officers of each State/UT are given in Appendix with whom information about state level examination may be sought.

3.1.1 Eligibility


All students studying in Class VIII in any type of recognised school including Kendriya Vidyalaya, Navodaya Vidyalaya, Sainik School etc. will be eligible to appear at the State Level Examination from the State in which the school is located. However, no domicile restriction shall be imposed. The state may impose any other eligibility condition for appearing in the screening examination like any qualifying percentage of marks in the previous annual examination etc.

3.1.2 How to Apply

The students studying in Class VIII in the country ought to be on the look out for any advertisement in the newspapers or circular in the school by the respective Government of their State/UT for the above said examination and act as per the requirement given in the State advertisement/circular. Any other information/query about the details of the state level examination may be had from Liaison Officers of the State/UT agencies, the addresses of which are given in the Appendix.

The filled in application by the student be submitted to the State Liaison Officer duly signed by the Principal of the school before the due date as advertised/circulated by each concerned State/UT.

They can also download the Common Application Form from the NCERT website *www.ncert.nic.in.*



3.1.3 Medium of Examination

The medium of the test shall be as announced by the State/UT.

3.1.4 Fee

State may impose any fee for examination and/or for application form.

3.1.5 Examination

State level examination may have two parts: Part-I Mental Ability Test (MAT) and Part-II Scholastic Aptitude Test (SAT) for nominating the required number of candidates for the second level test to be conducted by the NCERT.

3.1.6 Results

The State/Union Territory will prepare a merit list of the candidates ensuring the minimum qualifying marks in both the tests separately. These marks are 40 per cent in the case of general category candidates and 32 per cent in the case of SC/ST candidates.

The result of State Level Talent Search examination is declared in months of January/February by the States/UTs themselves. This examination is used only to recommend the candidates for second level NTS Examination conducted by the NCERT. The marks of the State Level Examination are not added to the National Level Examination for award of scholarship. No correspondence will be entertained by the NCERT with regard to first level examination conducted by the States/UT. The candidates having any query/complaint/clarification with regard to the State Level Examination shall have to correspond only with the state examination agencies as given in the Appendix.

3.2 National Level Examination

There is no fee of any kind for appearing in the National Level Examination.

3.2.1 Eligibility

The National Talent Search Examination is open for students of Indian nationality whether they study in India or abroad at Class VIII level.

3.2.1.1 Candidates Studying in India

Only the candidates selected by the States/UTs on the basis of their screening examination shall be eligible to appear in the National level examination to be conducted by the NCERT on the Second Sunday of May each year (unless otherwise notified). The NCERT will convey the roll number, the venue, the date and time for the national level examination to all such candidates directly through registered mail.

3.2.1.2 Candidates Studying Abroad

Students of Indian nationality studying abroad at the Class VIII level may also compete for Talent Search Award under the following conditions:

- (i) The Indian students studying abroad in Class VIII or equivalent class shall be exempted from the first level-screening test and shall be permitted to appear directly at the second level examination conducted by the Council.
- (ii) A candidate shall be eligible to appear in the second level NTS examination only if he or she has obtained at least 60 per cent marks (in aggregate) at the previous annual examination.
- (iii) A candidate will have to appear in the NTS examination at a centre in India at her/his own cost.
- (iv) A candidate desiring to appear in the NTS examination may request through the Head of the Institution where he or she is studying along with an attested copy (by the Head of the Institution) of the marksheet of Class IX. The request should reach the Head, Department of Educational Measurement and Evaluation, NCERT, New Delhi-110016 latest by 31st March of the concerned year.

- (v) The Council shall allot roll numbers to the eligible candidates and inform them about the date, time and the venue of examination along with other relevant instructions.
- (vi) No request for change of Centre shall be entertained.
- (vii) A candidate shall have to attend an interview, if he/she qualifies for the same, in India at his/her own cost.
- (viii) If a candidate is selected, the scholarship shall be paid for pursuing studies in India only.

3.2.2 Syllabus

There is no prescribed syllabus for the NTS examination. However, the standard of items shall be conforming to the level of Classes VII and VIII. A seprate booklet called 'Learn about the Test' containing sample items for both the Tests — MAT and SAT is available in print as well as on the NCERT website www.ncert.nic.in

3.2.3 Scheme of Testing

The scheme of testing is given below:

Test	Duration	No. of	Maximum Marks	Qualifying Marks	
Test		items	Marks	Gen. Category	SC/ST/PH Category
Mental Ability Test (MAT)	90 minutes	90	90	40% i.e. 36 marks	32% i.e. 29 marks
Scholastic Aptitude Test (SAT)	90 minutes	90	90	40% i.e. 36 marks	32% i.e. 29 marks
Interview	15-20 minutes		25	No quali mark	۱ ۵

3.2.4 Written Examination

The written examination shall consist of Part I MAT and Part II SAT. Both the tests will be administered separately with a short interval in between.

3.2.5 Mental Ability Test

There shall be 90 multiple-choice type items, with four alternatives. Each item will carry one mark. Candidates are required to answer the items on a separate answer sheet as per instructions given both in the test booklet and on the answer sheet.



3.2.6 Scholastic Aptitude Test

The Scholastic Aptitude Test will consist of 90 multiplechoice items of one mark each. Each item shall have four alternatives, out of which only one will be the correct answer. There shall be 35 items from Science, 35 from Social Sciences and 20 from Mathematics. Candidates are required to answer the items on a separate answer sheet to be provided at the examination centre as per instructions.

Important Note: The question booklets of both the tests (Mental Ability Test and Scholastic Aptitude Test) are official documents. The candidate will be required to return them along with the answer-sheets at the end of the examination. These booklets will not be given to anybody even after the examination is over and will be returned to the NCERT.

3.2.7 Medium

The tests will be available in the following languages:

Assamese, Bangla, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Oriya, Punjabi, Tamil, Telugu, Urdu. The candidate has to mention his option regarding the language in which he/she wants to take the test in the application form. Accordingly, the question booklet in that language shall be made available to the candidate at the centre. After exercising this option, no request for the change of medium will be entertained.

3.2.8 Allotment of Roll Numbers

The NCERT shall convey the roll numbers to the candidates for the second level examination directly. In case there is any change of address prior to the National Level Examination, it shall be obligatory on the part of the candidate to communicate the same to the state examining authority, which in turn shall inform the NCERT. In case there is any change of address after the candidate has received the admission letter for second level examination the same may be communicated to the NCERT directly.

3.2.9 Venue, Date and Time of the Test

The admission letter shall have all the information about the venue, the roll number, the date and time of the test.

3.2.10 Submission of Photograph

The admission letter issued to the candidate shall contain Admission Card to be filled in by the candidate. She/he shall have to attach an attested passport size photograph at the appropriate place in the Admission Card. This form shall have to be submitted to the Centre Superintendent on the day of the National Level Examination.

The Centre Superintendent, at his or her own discretion in special cases, may admit a candidate without photograph. However, a candidate shall have to submit an attested photograph to the Centre Superintendent immediately after the examination, which he shall forward to the NCERT.

3.2.11 Centre of Examination

Normally the candidates belonging to a particular state shall be allotted the centre in the same state. There is only one centre in each state for the National Level Examination.

The conduct of examination at the centers shall be done under the supervision of the Centre Superintendent appointed by the NCERT in consultation with the Government of the State/UT. An independent observer for each centre is also appointed by the NCERT.

3.2.12 Change of Centre

Only in exceptional cases under special circumstances, like the transfer of the parents of the candidates, the centre of examination may be changed on a written request received by the NCERT within 15 days of the issue of the Admission Card. However, it may be noted that in such cases only the **English medium** test booklet shall be provided to the candidate at the changed centre.



3.2.13 Conduct of Examination

The Centre Superintendent shall conduct the examination on the date and time of examination as announced by the NCERT. He/she will follow instructions for the conduct of the examination as supplied by the NCERT. For various eventualities like the late coming, malpractice, use of helper (in case of blind or sick candidates) and in respect of other cases not covered by the instruction from NCERT, the Centre Superintendent shall follow the rules prevalent for the Board Examination of the State concerned.

3.2.14 *Marking*

Each item in both the tests shall carry one mark each. A candidate shall get one mark for correct response. There will be no negative marking in either of the tests. Nevertheless, candidates are advised not to resort to blind guessing, which may not be of any help to them.

3.2.15 Processing of Result

The scoring of the answer-sheets for both the MAT and the SAT shall be done through the computer. All possible precautions are taken and necessary checks applied while processing the result to ensure zero error results.

3.3 Interview

A stipulated number of candidates, on the basis of the merit, shall be called for interview. Normally the interview shall be held during the months of July and August. Only those candidates who shall be found eligible for interview shall be informed through registered letters about a fortnight in advance at the address given in the Admission Card, by the candidate at the time of national level written examination. NCERT shall not be held responsible for non-receipt of the letter due to postal delay or otherwise.

3.3.1 Place of Interview

Interviews are arranged at various places in the country depending on the number of candidates found eligible from different regions.

3.3.2 Travelling Allowance

The candidates shall be paid second class rail fare to and fro for attending the interview. In no case the air fare will be paid.

3.3.3 Declaration of Result

The final award shall be declared on the basis of combined scores of MAT and SAT and the interview. Only the selected candidates shall be informed by registered letters. Marks obtained by the candidates in written examination or interview shall not be disclosed.

3.3.4 Rechecking

Since the NCERT applies rigorous checks and counterchecks before the declaration of result, no request for re-evaluation or rechecking of scripts will be entertained.

4. Rules and Regulations for Disbursement Scholarship

The awardees studying in Sciences, Social Sciences and Commerce are eligible to receive scholarship up to Ph.D. level where as the awardees studying professional courses in medicines, engineering, technology, management and law, are eligible to receive the scholarship up to second degree level. No scholarship shall be available for the study of language, literature and for courses in humanities at any stage. Scholarships will be paid subject to fulfillment of the following conditions.

4.1 General Eligibility Conditions

- (i) An Awardee is eligible for the scholarship provided he/she:
 - (a) takes up studies in approved courses.
 - (b) maintains good conduct as certified by the Head of the College/Institution and continues his/her studies as a regular student.
 - (c) does not absent himself/herself without proper leave.
 - (d) takes up studies on a whole time basis.
 - (e) does not take up any job.
- (ii) The NTS scholarship does not preclude the awardee from accepting any other scholarship except for Ph.D. course.

- (iii) No scholarship shall be available for studies abroad for any course.
- (iv) No claim for scholarship arrears will be entertained after the expiry of 12 months of the academic session for which one has applied for the claim.
- (v) In case any awardee leaves his/her course of study within one month of registration/admission, no scholarship shall be paid to him/her.
- (vi) In case awardee is not able to appear at the examination due to serious illness, one should send the medical certificate through the Head of the Institution within three months of one's falling ill. The duration of illness should be clearly certified by a specialist, who is a Registered Medical Practitioner. The facility will be available to the awardee to continue the same course in which one is studying provided the principal or the head of the institution certifies that the overall performance of the awardee during the year is 50 per cent or above.
- (vii) The awardee must join the next class/desired course within 3 months of the declaration of the result of the previous class/course. No change of course will be permitted. However, if the entrance examination to a course, held by a university or the examination bodies like CBSE is delayed due to unavoidable circumstances beyond the stipulated period, then the joining period for such courses should not normally exceed beyond six months. A certificate from examination bodies will be required to deal such cases. The decision for continuance of scholarship to such awardees will be taken on case-to-case basis.
- (viii) Scholarship shall be deemed to be discontinued with any gap of one academic session in studies at any time due to any reason.

- (ix) Scholarship once discontinued on the basis of the rules of disbursement of scholarship cannot be revived under any circumstances.
- (x) All rules are subject to change from time to time, as and when required, which will be binding on all awardees.

4.2 Eligibility and other Conditions for Continuation of Scholarship at Secondary and Higher Secondary Stage

- (i) The award of scholarship to the selected candidates shall commence subsequent to their clear promotion to Class IX.
- (ii) The scholarship at the secondary and higher secondry stage or equivalent Classes IX to XII is payable for a maximum period of four years for studies in India only.
- (iii) No scholarship at this stage is payable for studying diploma/certificate level courses.
- (iv) The awardees for the continuation of scholarships in Class X should have at least 50 per cent marks in aggregate in Class IX and clear promotion to next class in first attempt.
- (v) The awardees must obtain a minimum of 60 per cent marks in Class X examination or equivalent examination for continuation of the scholarship at higher secondry stage.
- (vi) The awardees for the continuation of scholarships in the second year of the +2 stage should have at least 50 per cent marks in aggregate in the first year of the +2 stage and clear promotion to next class in first attempt.
- (vii) In case an institution does not conduct an examination at the end of Class IX and/or Class XI,

the scholarship for the second year will be continued on the submission of a certificate to this effect from the head of the Institution.

4.3 Eligibility and other Conditions for Continuation of Scholarships at first Degree Level Courses

- (i) The awardee must obtain a minimum of 60 per cent marks at the end of +2 stage or equivalent examination for continuation of the scholarship at the first degree level course in Basic Sciences, Social Sciences or a professional course in engineering, medicine, management or law.
- (ii) The scholarship to SC/ST awardees will be paid after getting selected through Joint Entrance Examination (JEE), IIT and admitted in the one-year preparatory course for B.Tech. The scholarship will continue in 1st year subject to fulfillment of all the conditions laid down by respective IITs.
- (iii) The continuation of scholarships in the second and subsequent years shall be subject to the following conditions:
 - (a) Clear promotion to the next class in first attempt with pass in all papers.
 - (b) At least 50 per cent marks in aggregate at the internal examinations. However, the scholarship to MBBS candidates for internship will be given, only if one secures 60 per cent or more marks in the final degree.
 - (c) In case the result is not declared in terms of marks and grades are given, these should be equivalent to at least 50 per cent and above.
 - (d) In case an Institution/University does not conduct an annual examination after such a

- class, a certificate from the principal/head of the institution would be acceptable to this effect that the overall performance of the awardee is 50 per cent or above.
- (e) In case of IITs and other institutions, which follow semester system of examination, the marks or an equivalent Cumulative Grade Point Average (CGPA) at the end of an academic year will be considered.
- (iv) An awardee has the option to change one's discipline within the course, which one is pursuing, within or after completing one academic year without loss of any academic session. No change of discipline will be allowed during second or subsequent years. The awardee will have to appear in the final examination of that course at the end of academic session and should fulfill the other conditions for continuing the scholarship irrespective of the date of change of the discipline.
- (v) In case of four/five years integrated courses leading to post-graduation degree the rate of scholarship in the last two years shall be at the P.G. rates and for the remaining period as per the under graduate rates. In such cases the scholarship during the third/fourth year would be paid at the P.G. rate only if the head of the institution certifies that the performance of the candidate at the end of the second/third year has been equivalent to that of at least 60 per cent of marks.

4.4 Eligibility and other Conditions at Second Degree Level Course

(i) An awardee must have passed final examination for a first-degree level course in the first attempt securing a minimum of 60 per cent marks or its

- equivalent grade after aggregating the marks for all the years in the university examination of the course.
- (ii) An awardee shall be eligible to receive the scholarship in the second year only if he/she secures at least 50 per cent marks at the end of the first year. In case there is no university examination or grades are awarded, suitable certificate from the head of the institution will be acceptable.
- (iii) In case an institution has semester system of examination at this stage, the marks, grades or CGPA as the case may be, obtained by an awardee in the examination conducted at the end of an academic year, will be considered for continuation of her/his scholarship during the next year.
- (iv) The scholarships at this stage will also be available for doing a diploma course in management or specific branch of medicine or surgery provided the minimum qualification for entrance to such courses is a degree in the concerned discipline.

4.5 Eligibility and other Conditions at M.Phil./ Ph.D Stage

- (i) An awardee shall be eligible to receive scholarship during the pre-doctoral/M.Phil. courses provided these are an institutional requirement for Ph.D. work. The continuance of scholarship after this prerequisite course shall be subject to the successful completion of it.
- (ii) An awardee will be eligible to receive scholarship for doing research work leading to Ph.D./D.Phil. degree provided he/she passes M.A./M.Sc./M.Com./M.Phil course in the first attempt securing a minimum of 60 per cent marks or its equivalent grade after aggregating the marks for all the years in

the university examination of the course. An awardee must begin research/pre-doctoral work within six months of the declaration of M.A./M.Com./M.Sc. result. The date of joining should be intimated to the NCERT immediately thereafter with a certificate from the concerned supervisor indicating the field of work.

- (iii) At the end of two years, there would be an assessment of the quality of work done, by two independent experts on the basis of which the scholarship may be continued or discontinued.
- (iv) The scholarship shall be continued during the second and fourth year only if the guide certified that the work during the first and the third year respectively has been of high quality.
- (v) The change of topic/guide/Institution shall be allowed with the prior approval of both the guides and the NCERT.
- (vi) An awardee can take up a teaching assignment for a short period not exceeding a total period of six months only with in the tenure of four years with the prior permission of the NCERT only if his/her supervisor certifies that his/her assignment is not prejudicial to his/her progress. No scholarship shall be paid for this period, which of course shall be counted as part of the total period of four years.
- (vii) The scholarship shall commence from the month of commencing the research work as certified by the Guide. However, regular registration documents must be submitted within six months of commencing the research work. In case of predoctoral/M.Phil. courses scholarship will be awarded from the month of admission.
- (viii) An awardee will be entitled to the scholarship for Ph.D. up to a period of four years ordinarily. If he/

she submits the thesis/dissertation before four years period is over but continues to work on the same problem on which he/she has written the thesis/dissertation under the same supervisor, he/she will be entitled to the scholarship up to the viva-voce or the end of four years whichever is earlier. The supervisor has to certify in such cases that continuation of the Ph.D. research work after submission of the dissertation/thesis is necessary and has been undertaken.

4.6 Contingency Grant for Ph.D. work

- (i) The grant shall be utilised with the approval of the supervisor.
- (ii) All purchases shall be according to the rules of the institution.
- (iii) The grant may be utilised on apparatus, chemical, equipment, books, journals, photostat copies, microfilms, typing, postage and field work/travel (within India only) needed in connection with the approved research project with the approval of the supervisor and the university where the scholar works.
- (iv) The grant shall not be used for payment of examination or any other fees.
- (v) On termination of the scholarship, the apparatus and other non-consumable articles purchased out of the contingency grant will become the property of the institution/university where a scholar works. The university may, if he/she desires, allow the scholar to retain with him/her the books purchased out of the contingency grant.
- (vi) For all expenditure out of the contingency grant, a certificate from the supervisor to the effect that the

- expenditure incurred was in furtherance of the approved research project shall be necessary.
- (vii) Travel allowance for approved field work/travel in connection with the research work (including attending of relevant academic/research conferences and symposia) shall be admissible according to the rules applicable to the teaching staff of the university.
- (viii) The contingency grant for the first year of the research will be released to the head of the university concerned along with the scholarship for the first year. The contingency grant for the subsequent years will be released only on receipt of account of expenditure incurred duly certified by the supervisor and head and utilisation certificate in the prescribed proforma submitted through the institution/university.
 - (ix) The amount left unspent at the end of each year of the scholarship tenure will be adjusted against the contingency grant payable for the subsequent year. The year for the purpose is to be reckoned from the date of joining the research. Similarly any amount left unspent out of the contingency grant on the date of expiry/termination/relinquishment of the scholarship will be refundable to the NCERT.

4.7 Rates of Scholarship

The rates of scholarship at different stages are given as under:

S.No.	Stage	Rate of Scholarship
1.	For all classes except Ph.D.	Rs 500 p.m.
2.	For Ph.D. degree (four years)	As per UGC norms

4.8 Mode of Payment

- (i) The payment of scholarship shall not be made direct to the awardee. The payment shall be made only through the head of the institution concerned.
- (ii) The payment of scholarship shall be made to the Institution on the receipt of a bill from the awardee on a prescribed proforma sent to the NCERT through the head of the institution and accompanied by the academic progress report of the preceding year.
- (iii) The scholarship shall commence from the month an awardee joins the institution and shall continue up to the month prior to the month of his/her leaving studies subject to the condition for the maximum period of duration of the specific course.
- (iv) The Institution shall be paid the scholarship in lump sum **in advance for a total period of 12 months.** The awardee shall, however, get his/her scholarship on a monthly basis at the end of each month. If the awardee applies for scholarship after completion of



- academic session, in such case he/she should submit the marksheet of the class for which claim bill has been submitted.
- (v) The payment of scholarship during leave shall be governed by relevant leave rules.

4.9 Leave Rules Applicable to all the Awardees

- (i) Leave must be got sanctioned from the Head of the Institution/Department before it is availed of. Any absence from studies/research without leave shall lead to discontinuation of scholarship.
- (ii) Generally no leave with scholarship shall be granted to awardees except on medical grounds.
- (iii) Medical leave up to a maximum of four months in an academic year shall be admissible, if recommended by a competent medical authority, as under:
 - (a) Full scholarship if the absence does not exceed two months:
 - (b) Half scholarship for a further period of two months;
 - (c) No scholarship for the absence beyond four months.
- (iv) For married men/women, scholarship will be admissible at full rates up to 15/135 days respectively, for absence on grounds of maternity.
- (v) The awardees working at the Ph.D. level shall, however, be allowed casual leave with scholarship up to a maximum of 30 days in an academic year. The Ph.D. Supervisor will grant this leave.
- (vi) Applications for medical leave, including maternity leave, should be referred to the NCERT within a fortnight of the illness/confinements.

5. Nurturance Programme

The Council may arrange Nurturance Programme for the benefit of the awardees at various institutions of higher learning in the country. The awardees shall have to attend these Nurturance Programme in their own interest.

Note: For additional information, candidates may contact at the following Address:

The Head, Department of Educational Measurement and Evaluation, NCERT, Sri Aurobindo Marg,

New Delhi-110016

NCERT Website: www.ncert.nic.in

Phone: 26515382, 26562704, 26560464

Fax: 26515382

Annexure

List of NTS Liaison Officers, 2006-07

State/Union Territories	Phone No.	Address of Liaison Officers
North-East Region		
Arunachal Pradesh	0360- 2290471	Dy. Director Directorate of School Education Govt. of Anunachal Pradesh, Naharlagun-791111 (Anunachal Pradesh)
Assam	0361-2380935	Dy. Director Office of the Director of Secondary Education Kahilipara Guwahati-781019 (Assam)
Manipur	0385-2415604	Science Promotion Officer Directorate of Education (Schools) Lamphelpat, Imphal-795004 (Manipur)
Meghalaya	0364-2233752	Sr. Lecturer Directorate of Educational Research And Training ((DERT), Arbuthnot Road Nongrimmaw, Shillong-793011 (Meghalaya)
Mizoram	0389-2343200	Deputy Director SCERT, Chaltlang, Aizawl-796012 (Mizoram)
Nagaland	0370-2260502	i) For Class X students Controller of Examinations, Nagaland Board of School Education, Post Box No. 98 Kohima-797001 (Nagaland)
		ii) For Class VIII students Senetary, BEE Directorate of School Education Kohima-797001 (Nagaland)
Sikkim	03592-201029 PABX-220903	Deputy Director (Exam.) Human Resource Development Department of Education Govt. of Sikkim, Tashiling Gangtok-737103 (Sikkim)
Tripura	0381-2354209	H/M, H/S, SCERT,Abhoy Nagar,Agartala Tripura-799005 (West)
Eastern Region		
A & N Islands	03192-232730	Principal State Institute of Education Siksha Sadan Link Road, Port Blair-744101 (A&N Islands)

Bihar	0612-2370783	Director SCERT, Mahendru Post Office Patna-800006 (Bihar)	
Jharkhand	0651-2502265	Regional Deputy Director of Education Southern Chhota Nagpur, Permandal Kali Babu Street Ranchi, Jharkhand-834001	
Orissa	0674-2502928	Deputy Director (Academic) Directorate of TE & SCERT, Unit IV Bhubaneswar-751001, Orissa	
W est Bengal	033-23345952 033-23344504	Asstt. Director of School Education (Budget) Directorate of School Education Vikas Bhawan, 7 th Floor, East Block Salt Lake City, Kolkatta-700091 (West Bengal)	
Northern Region			
Chandigarh	0172-2604131	Director State Institute of Education Sector-32C, Chandigarh-160032 (U.T)	
Delhi	26280413 26280410	Sr. Science Counsellor Science Branch, Directorate of Education Behind L.S.R. College, Amar Colony Lajpat Nagar-IV New Delhi-110024	
Jammu and Kashmir	0191-2585480	j. Director (Academic) J&K State Board of School, Education Rehari Colony, Jammu-180005 (J&K)	
	0194-2491181	i) Director (Academic) J&K State Board of School Education New Campus, Lalmandi, Bemina Srinagar-190010 (J&K)	
Haryana	95124-2321916 95124-2320628	Lecturer (Physics) Science Wing, S.C.E.R.T., Schna Road Opp. Panchayat Bhawan Gurgaon-122001 (Haryana)	
Himachal Pradesh	01792-228135	Principal S.C.E.R.T., RABON Solan-173211 (Himachal Pradesh)	
Punjab	0172-2780141	Sr. Lecturer State Institute of Science Education (Runjab) SCO 66-67, Sector 17-A Chandigarh-160017	

Rajasthan	0145-2420597 0145-2622877	i) For Class X Students Secretary, Board of Secondary Education
	0294-2415171	Ajmer-305001 (Rajasthan) ii) For Class VIII Students Director, State Institute of Educational Research and Training, 111, Saheli Marg Udaipur- 313001 (Rajasthan)
Uttar Pradesh	0532-2256511	Director, Bureau of Psychology SCERT, 2 Lowther Road Allahabad-211001 (UP)
Uttarakhand	01378-227459	Asstt. Director SCERT, Uttaranchal AT & P.O. Narendra Nagar Tehri Garhwal-249175 Uttarakhand
Chhattisgarh	0771-2443297 0771-2443596	Lecturer State Council of Educational Research and Training (SCERT) DIET Campus Shankar Nagar, Raipur Chattishgarh-492007
Daman & Diu	0260-2230295	Headmaster Govt. High School Panchvati Opp. Custom House Vaniyawad Nani Daman-396210, Daman & Diu
D & N Haveli	0260-3091808	Headmaster Govt. High School, Zanda Chawk Silvassa (Via Vapi-396230) Dadra & Nagar Haveli
Goa	0832-417276	Deputy Director State Institute of Education Alto-Porvorim Bardez-403521 (Goa)
Gujarat	079-23248461	Chairman Gujarat State Examination Board (Nr. Government Library), Sector-21 Gandhinagar-382021
Madhya Pradesh	0755-5229399 0755-4229399	Assistant Professor Rajya Shiksha Kendra Pustak Bhawan "B" W ing, Amera Hills Bhopal-462011 (M.P)
Maharashtra	020-26139525 020-26123066 020-26123067	Commissioner, Maharashtra State Council of Examinations, 17-Dr.Ambedkar Road Pune-411001 (Maharashtra)

Southern Region		
Andhra Pradesh	040-23237343 23237344	Deputy Commissioner Office of the Director for Govt. Examinations Chapel Road, ABIDS Hyderabad-500001 (A.P)
Karnataka	080-26422239 080-6422372/306	Director, DSERT, No.4 100 feet Ring Road, Banashankari 3rd Stage, Bangalore-560085 (Karnataka)
Kerala	0471-2341883	Assistant Professor S.C.E.R.T, Vidhya Bhavan Poojappura (P.O.) Thiruvananthapuram-695012 (Kerala)
Lakshadweep	04896-262874	Headmaster Govt. Sr. Secondary School, Kavaratti Island UT of Lakshadweep-682555
Pondicherry	0413-2200255	Joint Director Directorate of School Education Anna Nagar, Pondicherry-605005
Tamil Nadu	044-28278286 305, 295	Director Directorate of Govt. Examinations, College Road Kodambakkam, Chennai-600006